



**Karnataka Bank**  
Your Family Bank. Across India.

NEFT/RTGS के लिए आवेदन

सेवा में,

दिनांक : \_\_\_\_\_

शाखा प्रबंधक

PAN संख्या : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ शाखा

महोदय,

कृपया NEFT/RTGS के माध्यम से रु. \_\_\_\_\_ (रुपये शब्दों में)

\_\_\_\_\_ की राशि केवल नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रेषित करने की कृपा करें।

नकद  चेक

नकद के मामले में, कृपया पे-इन-स्लिप भरें। 'आवेदक द्वारा बड़े अक्षरों में भरा जाना है।

**आवेदक का विवरण (प्रेषक)**

खाता संख्या : \_\_\_\_\_  
चेक संख्या : \_\_\_\_\_ चेक दिनांक : \_\_\_\_\_  
प्रेषक का नाम : \_\_\_\_\_  
पता : \_\_\_\_\_  
मोबाइल नंबर/अन्य नंबर : \_\_\_\_\_

**लाभार्थी का विवरण**

लाभार्थी का नाम : \_\_\_\_\_  
खाता संख्या : \_\_\_\_\_ खाता का प्रकार (SB/CA/OD) \_\_\_\_\_  
बैंक का नाम : \_\_\_\_\_ IFSC कोड ( 11 अंक) \_\_\_\_\_  
शाखा का पता : \_\_\_\_\_

प्राप्तकर्ता से लेकर भेजने वाले तक की जानकारी (यदि कोई हो): \_\_\_\_\_

**नियम एवं शर्तें**

- यह ट्रान्सफर एकल लेनदेन के लिए मान्य है।
- लाभार्थी खाता संख्या और IFSC कोड भरते समय उचित सावधानी बरती गई है।
- यह सुविधा केवल RS- 50,000/- से कम की राशि को ट्रान्सफर करने के लिए है।
- इस प्रकार की नकद प्राप्ति के लिए वॉक इन ग्राहक द्वारा फोटो पहचान पत्र दिया जाना है।

**घोषणा**

- मैं/हम कर्णाटका बैंक को ऊपर बताए गए अनुसार मेरे खाते से लागू शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं।
- मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के 14 अक्टूबर 2010 के परिपत्र के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से धन का हस्तांतरण केवल लाभार्थी खाता संख्या और लेनदेन शुरू करते समय प्रदान किए गए IFSC कोड के आधार पर निष्पादित किया जाएगा और गलत जानकारी देने पर बैंक किसी भी तरह से देय नहीं होगा। नाम को क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक मानदंड के रूप में नहीं माना जाएगा।

MP

(प्राथमिक आवेदक)

(संयुक्त आवेदक 1)

(संयुक्त आवेदक 2)

**ग्राहक पावती**

ग्राहक का नाम: \_\_\_\_\_ दिनांक: \_\_\_\_\_

हम NEFT/RTGS निर्देशों की प्राप्ति की सूचना देते हैं : UTR संख्या: \_\_\_\_\_

बैंक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

**NEFT/RTGS ट्रान्सफर के लिए नियम और शर्तें**

यह प्रेषक की जिम्मेदारी है कि लाभार्थी के विवरण, अनिवार्य रूप से लाभार्थी शाखा IFSC और खाता संख्या की शुद्धता सुनिश्चित करे। लाभार्थी बैंक के साथ-साथ प्राप्त करने वाले बैंक को भी वैध डिस्चार्ज मिलेगा यदि राशि को प्रस्तुत खाता संख्या में जमा किया जाता है, भले ही लाभार्थी खाताधारक का नाम भिन्न हो। बैंक इस तरह के गलत विवरण से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता को ग्रहण नहीं करेगा। बैंक निम्नलिखित कारणों से लाभार्थी को विलंब/भुगतान न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा:

1-प्रेषक द्वारा प्रस्तुत गलत और अपर्याप्त लाभार्थी विवरण।

- 2) प्रेषक/लाभार्थी बैंकों के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों जैसे कंप्यूटर सिस्टम के काम न करने, प्राकृतिक आपदाओं, हड़ताल, दंगा आदि या नेटवर्क या इंटरनेट की समस्या या शाखा/बैंक के नियंत्रण से परे अन्य कारणों के कारण संचार में व्यवधान के परिणामस्वरूप काम में रुकावट। इस खंड के कारण प्रेषण में देरी को तभी ठीक किया जाएगा जब व्यवधान ठीक हो जाए।
- 3) लाभार्थी बैंक/शाखा किसी भी कारण से लाभार्थी के खाते में क्रेडिट नहीं करता है। बैंक किसी भी गलती, चूक, या उसके प्रसारण या वितरण में त्रुटि या किसी भी कारण से संदेश को समझने में त्रुटि के प्रसारण / वितरण या गैर-डिलीवरी या इलेक्ट्रॉनिक संदेश में देरी से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा या इसकी गलत व्याख्या या गंतव्य बैंक की कार्रवाई या नियंत्रण से परे किसी अन्य कार्य से।

सभी NEFT/RTGS लेनदेन अपरिवर्तनीय हैं। RTGS के माध्यम से प्रेषण के संबंध में भुगतान रोकने का निर्देश देने की कोई सुविधा नहीं है। ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि RTGS लेनदेन को निष्पादित करने के लिए उसके खाते में पर्याप्त धनराशि है और अपर्याप्त निधि के कारण निर्देश को पूरा करने में उनकी विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।